न्यायालय संभागीय आयुक्त, जोधपुर संभाग, जोधपुर
पीठासीन अधिकारी :– श्रीमती डॉ. प्रतिभा सिंह, आई.ए.एस.

राजस्व अपील :– 93/2025

अपीलाण्ट :–	बनाम	रेस्पोडेन्ट :–
1. रतनदान पुत्र तेजदान जाति चारण निवासी गैस गोदाम के पास, रेन्दड़ी रोड़ सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान		1. अशोकदान पुत्र वेजदान जाति चारण निवासी गैस गौदाम के पास, रेन्दड़ी रोड़, सोजत सिटी तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान 2. तहसीलदार (भूमि धारक) सोजत तहसील सोजत जिला पाली राजस्थान

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 विरूद्ध आदेश न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सोजत के प्रकरण संख्या 81/2024 दिनांक 01.08.2024

उपस्थिति :–

1. श्री लक्ष्मण मेघवाल, श्री गोपीकिशन शर्मा, विद्वान अधिवक्ता, अपीलाण्ट्स।
2. श्री हेमन्त कुमार जैन, विद्वान अधिवक्ता, रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1

:: निर्णय ::

दिनांकः 07–05–2025

1. अपीलान्ट ने यह प्रथम अपील उपखण्ड अधिकारी, सोजत जिला पाली के द्वारा राजस्व प्रा. संख्या 81/2024 अनवान अशोकदान बनाम रतनदान वगैराह में पारित आदेश दिनांक 01.08.2024 के विरूद्ध न्यायालय हाजा के समक्ष पश की गई है।

2. यह अपील दर्ज रजिस्टर की गई तथा रेस्पोडेण्ट्स को जरिये सम्मन से तलब किया गया।

3. बहस उभयपक्षकारान् की सुनी गई।

4. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने बहस के द्वौरान मीमो में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुये कथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जो अपीलाधीन आदेश पारित किया गया है, वह विधि के विरूद्ध होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने दौराने बहस यह अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत में अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–पत्र पेश कर मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खाता संख्या 58 के खसरा नंबर 1304/3 रकबा 0.0700 हैक्टर का सीमाज्ञान एवं पत्थरगढी हेतु निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत

संभागीय आयुक्त
जोधपुर

द्वारा दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित कर दिया गया। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.08.2024 के द्वारा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 58 के खसरा नंबर 1304/3 रकबा 0.0700 हैक्टर कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगाये जाने हेतु मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्त्व में भू.अ.निरीक्षक पटवारी संबंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया। उक्त अपीलाधीन आदेश की पालना में फर्द मौका दिनांक 24.11.2024 के द्वारा ग्राम सोजत चक 2 के खसरा 1304/3, 1305/3, 1328/2 का सीमांकन किया गया एवं उक्त खसरा नंबरान के मुटाम कायम कर पत्थरगढी करवायी गई।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने यह भी अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के निर्णय दिनांक 01.08.2024 में विवादित खसरा संख्या 1304/3 के संबंध में आदेश पारित किया गया था लेकिन फर्द मौका दिनांक 24.11.2024 के द्वारा खसरा संख्या 1304/3 के अलावा 1305/3 एवं 1328/2 का भी सीमांकन किया गया है जो कि सही नही है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने आगे अभिकथन किया कि ग्राम सोजत चक द्वितीय के खसरा संख्या 1304/3 के मूल खसरा नंबर 1304 की उपखण्ड अधिकारी,सोजत पाली द्वारा बंटवाड़ा डिक्री दिनांक 28.09.2005 को पारित की हुई है। अपीलाण्ट एवं रेस्पोडेण्ट्स बंटवाड़ा डिक्री दिनांक 28.09.2005 के अनुसार ही मौके पर काबिज है। बंटवाड़ा डिक्री दिनांक 28.09.2005 की तरमीम की हुई होने से अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि ग्राम सोजत चक द्वितीय के मूल खसरा नंबर 1304 के संबंध में पारित बंटवाड़ा डिक्री दिनांक 28.09.2005 के अनुसार तरमीम की जाये तो अपीलाण्ट को ऐतराज नही है। अतः अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के निर्णय दिनांक 01.08.2024 को खारिज फरमाने का आदेश प्रदान करावे।

5. बहस के द्वौरान रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि मेरी माताजी द्वारा मेरे पक्ष में वसीयत करने से विवादग्रस्त भूमि मुझे प्राप्त हुई है। अपीलाण्ट ने वसीयत को केन्सिल करवाने हेतु एक दावा सिविल न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जो कि माननीय न्यायालय द्वारा खारिज किया गया। उसकी अपील अपर न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो भी खारिज की गई है। उक्त आदेश की अपील उच्च न्यायालय में प्रस्तुत की गई, जो वर्तमान में लंबित है।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि रेस्पोडेण्ट्स संख्या एक द्वारा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत में अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम के तहत एक प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित कर दिया गया। उक्त आदेश दिनांक 01.08.2024 की पालना में फर्द मौका दिनांक 24.11.2024 के द्वारा ग्राम सोजत चक 2 के खसरा 1304/3, 1305/3, 1328/2 का सीमांकन किया गया एवं उक्त खसरा नंबरान के मुटाम कायम कर पत्थरगढी करवायी गई। उक्त सीमांकन एवं पत्थरगढी की कार्यवाही के द्वौरान अपीलान्ट उपस्थित रहे। उन्होने फर्द मौका दिनांक 24.11.2024 पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2024 की मौके पर पालना हो चुकी है।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता द्वारा बहस के द्वौरान किये गये कथन, उनके अपील मीमो एवं अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत जवाब से भिन्न है। इस प्रकार वो अपील मीमो में वर्णित कथन से अलग नही हो सकते है। अपील खारिज फरमाई जावे।

रेस्पोडेण्ट्स के विद्वान अधिवक्ता ने अभिकथन किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.08.2024 द्वारा तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 58 के खसरा नंबर 1304/3 रकबा 0.0700 हैक्टर कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगाये जाने हेतु मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्त्व में भू.अ.निरीक्षक पटवारी संबंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने का आदेश पारित किया गया। उक्त आदेश के अनुसार मौके पर सीमाज्ञान करवाकर पत्थरगढी की गई।

6. हमने उपस्थित पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बहस पर चिन्तन एवं मनन किया तथा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया गया। रेस्पोडेण्ट्स संख्या 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत में प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 110,111,128 भू–राजस्व अधिनियम का ग्राम सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खाता संख्या 58 के खसरा नंबर 1304/3 रकबा 0.0700 हैक्टर का सीमाज्ञान एवं पत्थर गढी करवाने का प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने रेस्पोडेण्ट्स के उक्त प्रार्थना पत्र पर दिनांक 01.08.2024 को निर्णय पारित किया कि तहसील सोजत के वर्तमान खाता संख्या 58 के खसरा नंबर 1304/3 रकबा 0.0700 हैक्टर कृषि भूमि का मौके पर नाप चौप करके सीमांकन किये जाने तथा उभय पक्षों/पक्षकारों को पृथक–पृथक सीमाज्ञान/सीमांकन करवाया जाकर मुटाम लगाये जाने हेतु मौके पर तहसीलदार, सोजत के नेतृत्व में भू.अ.निरीक्षक पटवारी संबंधित व एक अन्य पटवारी की संयुक्त कमेटी गठित करके पत्थरगढी करवाया जाने हेतु अपीलाधीन आदेश पारित किया गया।

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने मुख्य कथन यह प्रस्तुत किया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत के द्वारा पारित निर्णय दिनांक 01.08.2024 में मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय के वर्तमान खाता संख्या 58 के खसरा नंबर 1304/3 रकबा 0.0700 हैक्टर का सीमाज्ञान एवं पत्थर गढी करने का तहसीलदार, सोजत को आदेश प्रदान किये गये। लेकिन तहसीलदार, सोजत ने खसरा नंबर 1304/3 के अलावा अन्य खसरा नंबर 1305/3 एवं 1328/2 का सीमांकन एवं पत्थरगढी करवाई गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व सीमांकन रिपोर्ट प्राप्त नही की गई।

अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का बगौर अवलोकन किया। बाद अवलोकन पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत ने प्रार्थना–पत्र अंतर्गत धारा 110,111 एवं 128 राजस्थान भू–राजस्व अधनियम 1956 में अपीलाधीन निर्णय दिनांक 01.08.2024 पारित करने से पूर्व भूमिधारक तहसीलदार, सोजत से न तो जवाब लिया और न ही विस्तृत जांच रिपोर्ट प्राप्त की गई। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा बिना जांच रिपोर्ट के अपीलाधीन निर्णय पारित कर दिया। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय का फैसला अस्पष्ट है तथा तथ्यों पर आधारित नही हैं। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाना न्यायोचित प्रतीत नही होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कण्डोन किया जाता है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकरी सोजत के राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 81/2024 अनवान अशोकदान बनाम रतनदान में पारित निर्णय दिनांक 01–08–2024 को अपास्त किया जाता हैं।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सोजत को प्रकरण इन दिशा निर्देशो के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि धारा 110, 111 व 128 भू–राजस्व अधिनियम के प्रावधित प्रावधानों की पालना करते हुए भूमि मौजा ग्राम सोजत चक द्वितीय के खसरा नंबर 1304/3, 1305/3 एवं 1328/2 के संबंध में तहसीलदार, सोजत से मुस्तकिल बिन्दु कायम किया जाकर नक्शो में विवादित माठ से मुस्तकिल स्थानो की दूरिया व मौके पर वास्तविक नाप की दूरियों को अंकित करवाकर मौका सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त की जावे। सीमाज्ञान रिपोर्ट प्राप्त होने पर दोनो पक्षो को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुये विधि सम्मत निर्णय पारित करे। अधीनस्थ न्यायालय का मूल रिकॉर्ड इस निर्णय की प्रति के साथ माफिक निर्णय पालना करने हेतु पुनः लौटाया जावे। पत्रावली दर्ज फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर की जावे। यह निर्णय आज दिनांक 07.05.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर सरे–इजलास सुनाया गया।

(डॉ0 प्रतिभा सिंह)
सम्भागीय आयुक्त,
जोधपुर

सम्भागीय आयुक्त
जोधपुर